शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊः दिनॉकः 20 अप्रैल, 2021

विषय– उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठयक्रम शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समान पाठ्यकम लागू करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप पुनर्संयोजित करने के लिये शासनादेश संख्या 5240/सत्तर–3–2020 दिनॉक 26–10–2020 द्वारा राज्य स्तरीय समिति तथा संकायवार सुपरवाइजरी समितियों का गठन किया गया है। साथ ही विषयवार विशेषज्ञ समूहों का भी गठन किया गया। पाठ्यकमों को पुनर्संयोजित करने के लिये लगभग 150 विषय विशेषज्ञों के द्वारा राज्य स्तरीय समिति एवं राज्य संकायवार सुपरवाइजरी समितियों के साथ 200 से अधिक वर्चुअल बैठकों के माध्यम से चर्चा कर तैयार न्यूनतम समान पाठयक्रम को प्रदेश में स्टेकहोल्डरर्स से सुझाव प्राप्त करने के लिये राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया ।

तद्कम में कुल 416 फीडबैक प्राप्त हुए, जिसमें से 27 प्रतिशत फीड बैक को विषय विशेषज्ञों द्वारा समिति में चर्चा करने के पश्चात आवश्यकतानुसार पाठयक्रमों में सम्मलित किया गया । फीडबैक के अनुसार संशोधन करने के पश्चात प्रथम फेज में स्नातक कला एवं मानविकी (16 विषय), भाषा (4 विषय), विज्ञान (9 विषय), बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0आई0एस0 तथा अनिवार्य को–करीकुलर (6 विषय) के निम्नलिखित विषयों के न्यूनतम समान पाठयक्रम वेबसाईट (http://uphed.gov.in/page/council /en/nep-2020) पर अपलोड कर दिये गये हैं तथा शेष विषयों तथा स्नातकोत्तर के अंतिम रुप से तैयार पाठयक्रम भी वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जायेंगे ।

कला एवं मानविकी विषय	विज्ञान विषय	भाषा विषय	अनिवार्य को–करीकुलर विषय	अन्य संकाय
एंथ्रोपोलोजी	कृषि	संस्कृत	खाद्य, पोषण एंव स्वच्छता	बी0कॉम
रक्षा एवं संराचनात्मक अध्ययन	वनस्पति विज्ञान	हिन्दी	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	बी0एड0
अर्थशास्त्र	रसायन शास्त्र	अंग्रेजी	शारीरिक शिक्षा एवं योग	बी0बी0ए0
शिक्षाशास्त्र	कम्प्यूटर विज्ञान	उर्दू	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन	बी0एल0आई0एस0
ललित कला	भूगर्भ शास्त्र		विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनैस	
भूगोल	गणित		संचार कौशल एवं व्यक्तितव विकास	

इतिहास (प्राचीन)	भौतिक विज्ञान			
इतिहास(आधुनिक)	संख्यिकी			
गृह विज्ञान	जन्तु विज्ञान			
विधि				
दर्शनशास्त्र				
शारीरिक शिक्षा				
राजनीति शास्त्र				
मनोविज्ञान				
समाजशास्त्र				
समाजिक कार्य				

3– शासनादेश संख्या–438/सत्तर–3–2021(16)26/2011 दिनॉक 08–02–2021 के द्वारा पूर्व में नये पाठयक्रम की विशेषतायें, संरचना का आधार, सी0बी0सी0एस0, क्रेडिट, क्रेडिट स्थानंतरण, अनिवार्य को–करीकुलर एंव विषय चुनाव एंव उन्हें लागू करने के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

4– अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठयक्रम को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15.05.2021 तक विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देशों/प्रकिया को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के पाठयक्रमों में आवश्यक संशोधन कर उसे शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू करने हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें, जिससे शैक्षिक सत्र 2021–22 से प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन किया जा सके:–

- न्यूनतम समान पाठयक्रम का 70 प्रतिशत पाठयक्रम प्रत्येक विश्वविद्यालय में लागू होगा, शेष 30 प्रतिशत पाठ्क्रम विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकताओं के अनुरुप लागू कर सकेंगे । न्यूनतम समान पाठयक्रम की संरचना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा ।
- प्रत्येक विषय के पेपर के शीर्षक सभी विश्वविद्यालयों में समान होंगे जिससे भविष्य में आसानी से प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के क्रेडिट स्थानांतरित हो सकें।
- विश्वविद्यालयों की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा स्वीकृत पाठयक्रम की प्रति उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।
- उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर शेष पाठयक्रम भी समय–समय पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिनको भी उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज के द्वारा अधिकतम 30 प्रतिशत तक आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन के पश्चात अनुमोदन कर परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा ।

विषय चुनाव एवं प्रवेश प्रक्रिया–

- सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अपने संकाय (Science/Arts/ Commerce/ Management etc) का चुनाव करेगा ।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीट एवं नियमों के आधार पर विद्यार्थी को संबधित संकाय में प्रवेश देगा ।
- तत्पश्चात विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Major) का चुनाव करेगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है ।
- इसके बाद विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर हेतु एक माइनर विषय किसी दूसरे संकाय से लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय आवंटित किया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगार परक पाठयक्रम लेना होगा।

किसी भी पाठयक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया–

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास (Exit) तथा दो वर्ष (चार सैमस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी ।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी ।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर में पुनः प्रवेश ले सकेगा ।
- Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी ।

डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि–

- विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको डिग्री दी जायेगी एवं तदनुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी ।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संदर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें–

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट आनलाईन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड सकेंगे । यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार आनलाईन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे ।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय को अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है।
- यदि कोई योग्य छात्र कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी । अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।
- विद्यार्थी को कोर्स आधार पर पंजीकरण की सुविधा प्राप्त होगी, जिस आधार पर वे किसी एक कोर्स का अध्ययन कर सकेंगे।
- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा । एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा ।

परीक्षा व्यवस्था –

- सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एंव फार्मूला के अनुसार परसेंन्टाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा ।
- सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी ।
- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहु विकल्पीय (MCQ) आधार पर होगी ।

5– अग्रेतर यह अवगत कराना है कि उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं, प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होंगी।

6– स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के 46 क्रेडिट होंगे जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो

सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र (Certificate) प्रदान किया जा सकता है।

द्वितीय वर्ष के 92 क्रेडिट होंगे, जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर डिप्लोमा (Diploma) प्रदान किया जा सकता है।

तृतीय वर्ष के 138 क्रेडिट होंगे जिसमें दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठ्यक्रम/एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree) प्रदान की जायेगी।

चौथे वर्ष के 194 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध के साथ स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree with Research) प्रदान की जायेगी।

पांचवें वर्ष के 246 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त मास्टर डिग्री (Master's Degree) प्रदान की जायेगी।

छठे वर्ष के उपरान्त Post Graduate Diploma in Research (PGDR) प्रदान किया जा सकता है।

सातवें और आठवें वर्ष में अनुसंधान पद्धति तथा प्रमुख विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त पी–एच0डी0 (Ph.D.) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

7– प्रत्येक विषय के प्रमुख कोर पाठ्यक्रमों के लिए सामान्यतः न्यूनतम 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम उपरोक्तानुसार लागू किया जायेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रत्येक सेमेस्टर के समान पेपर शीर्षक होंगे। यूनिफॉर्म क्रेडिट और ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण किया जायेगा। प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8– पहले दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/2020, दिनांक 22.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया है।

9– अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर समयबद्ध रूप से कार्य करते हुए 30 जून, 2021 तक इन्हें पूर्ण कर लिया जाये, साथ ही एम0एस0एम0ई0, आई0टी0आई0 और पॉलीटेक्निक के साथ एम0ओ0यू0 किये जाये ताकि विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एवं संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी योजना तैयार कर कार्यवाही की जानी चाहिए।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

20/4

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1065 (1)/सत्तर–3–2021–तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।